सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour Programme/4/VC/2018/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003

Dated: 12th March, 2018

To,

1. प्रमुख सचिव,
   जनजातीय विकास विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. जिला कलेक्टर,
   जिला जबलपुर,
   (मध्य प्रदेश)

3. जिला कलेक्टर,
   जिला सिवनी,
   (मध्य प्रदेश)

4. जिला कलेक्टर,
   जिला छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)

विषयः सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली से आयोग के दल के दिनांक 20–01–2018 से 24–01–2018 तक मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों का दौरा।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 20–01–2018 से 24–01–2018 तक मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों के दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि प्रवास रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

(आर के दुबे)

सहायक निदेशक

Copy for information and necessary action to:

1. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
प्रवास – प्रतिवेदन

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 20/01/2018 TO 24/01/2018 { DISTRICT JABALPUR] SEONI AND CHHINDWARA (MP) } ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 20 जनवरी 2018** **से** **24 जनवरी 2018 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	श्री सूमेया जूलोजी प्रांत प्रचारक, मध्यप्रदेश।
2)	श्री रंगराजन प्रांत प्रचारक मध्यप्रदेश
3)	श्री अभिताभ स्वामी, प्रचारक, सामाजिक विचारक व चिंतक चिंतक।
4)	श्रीमती शोभा ताई, इन्दौर महिला समन्वय प्रमुख मध्यप्रदेश
5)	श्रीमती लता वना वानखेडे, अध्यक्ष महिला आयोग मध्यप्रदेश
6)	श्री रमेश पतंगे जी मुम्बई
7)	श्रीमती गीता ताई जी मुम्बई
8)	श्री भैयाजी सरकार, जबलपुर आध्यामिक संत एवं नर्बदा स्वच्छता मिशन के प्रर्वतक।
9)	श्री राघवदास जी आध्याधिक संत एवं नर्बदा स्वच्छता मिशन के सहयोगी।
10)	श्री प्रभात साहू पूर्व महापौर नगर पालिक निगम, जबलपुर।
11)	श्री एस के मुद्दीन,उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम भोपाल
12)	श्री आनन्द बर्नाड वरिष्ठ सदस्य राज्य अल्प संख्यक आयोग मध्यप्रदेश शासन भोपाल
13)	श्री देवेश चौधरी, प्रधान संपादक तीसरा पक्ष जबलपुर
14)	श्री सोमकुँवर प्रांतीय महासचिव दि बुद्धिस्ट सोसायटी आफ इंडिया।
15)	श्री शिवनाथ चौधरी वरिष्ठ साहित्यकार जबलपुर
16)	श्रीमती अनुराधा पाण्डेय जी, जन प्रतिनिधि जबलपुर
17)	श्री अंशुमन शुक्ला, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवक
18)	श्रीमती उर्मिला भारत अध्यक्ष भारिया विकास प्राधिकरण तामिया।
19)	श्री नत्थनशाह विधायक जुन्नारदेव
20)	श्रीमती कांता ठाकुर अध्यक्ष जिला पंचायत छिन्दवाड़ा
21)	श्री उत्तम ठाकुर, जनजाति प्रतिनिधि एवं समाज सुधारक।
22)	श्री हीरासिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
23)	श्री फग्गनसिंह कुलस्ते पूर्व मंत्री एवं जनजाति प्रतिनिधि
24)	श्रीमती संपतिया उइके, सांसद राज्यसभा मंडला
25)	श्री हुकुमसिंह ठाकुर जनजाति नेता
26)	श्री गजेन्द्र सिंह, विचारक
27)	श्री मोरेश्वर मर्सकोले, जनजाति प्रतिनिधि।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

28)	जबलपुर में तरंग आडिटोरियम में करीब 800 प्रतिनिधियों की सहभागिता।
29)	सिवनी में आयोजित गोंड समाज प्रांतीय अधिवेशन एवं परिचय सम्मेलन में 5000 व्यक्ति
30)	पातालकोट तामिया में करीब 1000 जनजाति प्रतिनिधि, ग्रामीणजनों इत्यादि की उपस्थिति
31)	श्री प्रमोद डोंगरे प्रातीय महासचिव, यूको बैंक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी काउन्सिल
अधिकारीगण	
32)	प्रोटोकाल आफिसर, कार्यालय कलेक्टर जबलपुर
33)	प्रभारी सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग जबलपुर

5. दौरा के मुख्य बिन्दु

A. विश्राम भवन जबलपुर में आम नागरिकों एवं जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट।

B. जनजाति विकास मंच द्वारा जबलपुर में आयोजित कार्यशाला में सहभागिता।

C. राष्ट्र सेविका समिति मुम्बई द्वारा आयोजित महिला समन्वय समिति की कार्यशाला में सहभागिता।

D. स्वाधार केन्द्र पुलिस लाईन का निरीक्षण।

E. यूको बैंक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी काउन्सिल के प्रांतीय अधिवेशन में सहभागिता।

F. गोंड समाज महासभा प्रांतीय अधिवेशन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन सिवनी में सहभागिता।

G. समर्थ पातालकोट महोत्सव राष्ट्रशक्ति सम्मेलन में सहभागिता।

दिनाँक 20 जनवरी 2018

1. दिनाँक 20 जनवरी 2018 दिल्ली से प्रस्थान कर जबलपुर आगमन, जनजाति विकास मंच मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया गया। जनजातियों के लिये संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन, आरक्षण नीति का क्रियान्वयन, पाँचवी एवं छटवीं अनुसूचि के क्रियान्वयन पर चर्चा, सामाजिक समरसता, आदिवासियों के हिन्दु नहीं होने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशाला में परिचर्चा कर उपस्थित जनजाति समाज के प्रबुद्धजनों से उनके विचारों का आदान प्रदान किया गया।
2. मैंने अपने उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की कार्य प्रणाली, इसके गठन के उद्देश्य, किये जाने वाले कार्यो के साथ ही साथ भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति वर्ग को संरक्षण और विकास के लिये किये गये प्रावधानों, पाँचवी एवं छटवी अनुसूचि के प्रावधानों, एट्रोसिटी एक्ट, पास्को एक्ट आदि की विस्तार से जानकारी उपस्थित जनजाति समाज को प्रदान की गई, और उनसे यह भी अपील की गई कि यदि इन प्रावधानों में कोई कमी है या वे इसे और व्यावहारिक बनाने के लिये सुझाव देना चाहें तो अवश्य ही दे। इन सुझावों को

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शिकायत के रूप में न लेकर सुझाव मानते हुए इन पर उपयुक्त मंचों पर चर्चा की जावेगी तथा इनमें सुधार के लिये प्रयास किये जा सकते हैं

3.

(जनजाति विकास मंच कार्यशाला जबलपुर में परिचर्चा में भाग लेते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं आयोजक तथा अन्य अतिथि)

दिनाँक 21 जनवरी 2018

4. प्रातः आकस्मिक रूप से स्वाधार होम पुलिस लाईन, पुलिस परामर्श केन्द्र जबलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय संस्था के संचालक श्री अंशुमन शुक्ला भी उपस्थित हुए।

5. स्वाधार गृह जबलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में निम्न तथ्य स्पष्ट हुएः-

A. पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र जबलपुर अशासकीय पंजीकृत समिति द्वारा स्वाधार गृह जबलपुर का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2015 तक केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता रहा है जो कि निम्नानुसार प्राप्त हुआ है।

क्र.	वर्ष	व्यय	प्राप्त	दिनांक
1	2007-08	3,60,000	संस्था के सदस्यों द्वारा व्यय	-
2	2008-09	3,60,000	संस्था के सदस्यों द्वारा व्यय	-
3	2009-10	13,92,000	12,14,000	13.01.2011
4	2010-11	8,20,000	4,43,787	17.01.2013
5	2011-12	8,18,504	8,18,504	25.02.2013
6	2012-13	8,45,971	8,45,971	10.01.2014
7	2013-14	8,20,292	8,18,504	02.08.2014
8	2014-15	13,56,000	13,12,609	06.04.2014
9	2015-16	10,39,354	7,08,304 राज्य अंश 3,31,050 अप्राप्त	31.05.2017
10	2016-17	25,45,892	अप्राप्त	
11	2017-18	19,30,892	अप्राप्त	

B. प्रति पांच वर्ष में स्वयं के भवन में रखरखाव, कपड़े बिस्तर आदि हेतु रूपये पांच लाख का प्रावधान है, परंतु यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण समस्या हो रही है।

C. स्वाधार योजना 2015 के अनुसार 60:40 के अनुपात में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास व राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थाओं को अनुदान

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रदान किये जाते रहे हैं।

D. 2015-16 में स्वीकृत रूपये 10,39,354 में केन्द्र द्वारा 7,08,304 प्रदान किये गये **किन्तु राज्य का अंश 3,31,050 अप्राप्त है।**

E. अनुदान का प्रस्ताव निरीक्षण प्रतिवेदन सहित आयुक्त संचालनालय महिला सशक्तिकरण पर्यावास भवन द्वितीय खण्ड, चतुर्थ तल को समय पर प्रेषित किया गया है।

F. अनुसूचित जनजाति की कु. तीरती बरकड़े अधीक्षिका, कु. गायत्री उईके काउंसलर, कु. सतिया परते/कु. रीता धुर्वे, कु. सुनीता टेकाम स्वाधार सहायिका कठिन परिस्थितियों में आश्रयरत रहकर सेवा कार्य सुचारू रूप से कर रही है। अनुदान **राशि प्राप्त न होने से दिनांक 01.01.2016 से मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है।**

G. वर्ष 2008 से बड़ी संख्या में जनजातीय क्षेत्र की अनाथ, असहाय, अपराधग्रस्त, आवश्यकताग्रस्त, न्यायालयों के आदेशों से महिलाओं को आश्रय उपरांत शिक्षण, प्रशिक्षण, पुर्नवास, गृह वापसी, स्वरोजगार, रोजगार संबंधी दायित्वों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति की वर्ग की 40 महिलाओं एवं उनके बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया। कुल 214 महिलाओं एवं उनके बच्चों को संरक्षण दिया गया है।

H. नियमित एवं सुनिश्चित अनुदान प्राप्त नहीं होने के कारण स्वाधार गृह जबलपुर के संचालन में बहुत परेशानियां आ रही हैं।

I. स्वाधार गृह जबलपुर के सुचारू संचालन हेतु अतिशीघ्र केन्द्रीय स्वाधार योजना अनुरूप वित्तीय संसाधन एवं **राज्य का अंश महिला बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

6. राष्ट्र सेविका समिति मुम्बई की मध्यप्रदेश प्रांतीय महिला समन्वय समिति द्वारा आयोजित अभ्यास वर्ग में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम का **उददे्श्य महिलाओं को किस प्रकार सशक्त बनाया जा सकता है,** इस विषय पर विद्वान महिलाओं द्वारा अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किये गये। समाज व परिवार में समरसता तथा समन्वय स्थापना में महिलाओं की भूमिका किस प्रकार की हो सकती है, इस पर गहन चिंतन एवं विचार किया गया। आदर्श समाज के निर्माण में महिलाओं की क्या विचारधारा होना चाहिए, महिलाओं को देश निर्माण समाज निर्माण एवं परिवार निर्माण में भविष्य के लिये किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, आदर्श परिवार के निर्माण से ही आदर्श राष्ट्र निर्मित हो सकता है, इसके लिये उन्हें अपने परिवार में बच्चों को किस प्रकार से संस्कारित करना चाहिए, महिला समन्वय की अवधारणा, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है और इसे किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, इन विषयों पर गंभीर एवं गहन चिंतन किया गया। इसके साथ ही साथ हिन्दू चिंतन, महिलाओं के लिये लागू मध्यप्रदेश शासन की कल्याणकारी सरकारी योजनाओं इत्यादि से भी महिलाओं का अवगत कराया गया। यह कार्यशाला अत्यन्त ही उपयोगी प्रतीत हुई है।

दिनाँक 21 जनवरी 2018

7. निर्धारित समय पर यूको बैंक अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ावर्ग, कर्मचारी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिषद मध्यप्रदेश राज्य इकाई द्वारा तरंग प्रेक्षाग्रह शक्ति भवन जबलपुर में प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथियों ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की समस्याओं के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

8. मैंने अपने मार्गदर्शन में आयोग की गतिविधियों, कार्य प्रणाली, आरक्षित वर्ग को प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों से उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए जागरूक करने का प्रयास किया गया। अपने उदबोधन में कहा कि सरकारें स्मार्ट सिटी बनाए, विकास करें इसमें किसी को काई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही जन जातियों के विस्थापन के बाद उन्हें तथा उनके विस्थापन स्थल को स्मार्ट अवश्य बनाया जाना चाहिए। उपस्थित शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अब आरक्षण एवं सुविधाओं का लाभ लेकर जिम्मेदार पद पर आ चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वर्ग के पिछड़े व्यक्तियों का मार्गदर्शन करें और उनकी सहायता करें क्योंकि केवल सरकारें ही इस काम को नहीं कर सकती हैं, आप सभी को इसमें सहभागी होना चाहिए क्योंकि आप सभी सरकार का अंग और स्वरूप भी हैं, इसलिये यह आपका नैतिक दायित्व है। आयोग के प्रयासों से जनजाति वर्ग में सुरक्षा की भावना जाग्रत हो रही है जो कि एक अच्छा लक्षण है। व्यक्ति शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है किन्तु समाज सेवा से कभी सेवा निवृत्त नहीं हो सकता है। सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी अपने समाज के व्यक्तियों को आगे आने में मदद करें।

(यूको बैंक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी परिषद प्रातीय अधिवेशन का शुभारंभ करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथि)

9. यूको बैंक अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ावर्ग, कर्मचारी परिषद मध्यप्रदेश राज्य इकाई द्वारा अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र दिया गया जिसके अनुसार बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रतितीन माह में ली जाने वाली बैठक में उनकी काउन्सिल के अध्यक्ष और महासचिव तथा पूर्व अध्यक्ष एवं महासचिवों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, बैंक की राज्य इकाई मुख्यालय में और क्षेत्रीय कार्यालय में उनके संगठन को स्थान दिया जावे, कर्मचारियों अधिकारियों के लंबे समय लंवित प्रकरणों को

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शीघ्र निराकृत किया जावे, बैंक में जो रोस्टर का संधारण किया जाता है उसका परीक्षण करवाकर उसकी सत्यता, शुद्धता, विश्वसनीयता सुनिश्चित की जावे, चतुर्थ श्रेणी भृत्य एवं दफ्तरी आदि के पद शीघ्र भरे जावें श्री मरकाम वरिष्ठ प्रबंधक का वर्ष 2012 से लंवित स्वत्वों के भुगतान का प्रकरण शीघ्र निराकृत किया जावे। संस्था द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

10. इस कार्यक्रम में आयोजक संस्था द्वारा गरीब जनजाति बच्चों को स्कूल बैग, गरीब व्यक्तियों को कम्बल का वितरण के साथ ही साथ प्रतिभावान बच्चों को पुरूस्कृत भी किया गया। साथ ही साथ अतिथियों को भी संविधान की किताब प्रदान कर सम्मानित किया गया।

(यूको बैंक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी परिषद प्रातीय अधिवेशन में बच्चों को पुरूस्कृत करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथि)

11. अपरान्ह में जबलपुर से प्रस्थान कर सिवनी में आयोजित गोंड समाज महासभा प्रांतीय अधिवेशन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में भाग लिया गया। मैंने अपने मागदर्शन में आयोग की गतिविधियों, कार्य प्रणाली, आरक्षित वर्ग को प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों से उपस्थित प्रतिनिधियों एवं आम जनजाति नागरिकों को अवगत कराते हुए जागरूक करने का प्रयास किया गया। मैंने आयोग को प्राप्त अपील आवेदनों के निराकरण, जनजाति समाज के लिये बनाए गये कानूनों, संवेधानिक प्रावधानों से आम नागरिकों को अवगत कराते हुए आहवान किया कि धर्म, जाति, राजनीति के भेदभाव को भुलाकर केवल समाज के कल्याण, पिछड़े, गरीब व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिये एकत्रित होकर कार्य करें तभी जनजाति समाज का कल्याण होकर सर्वागीण विकास हो सकेगा।

12. गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा कार्यकम में 18 सूत्रीय एक मांगपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। इस ज्ञापन पत्र को प्रथक से मुख्य सचिव

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मुख्य रूप से पाँचवी अनुसूचित के कियान्वयन, मध्यप्रदेश राज्य जनजाति मंत्रणा परिषद का अध्यक्ष पद जनजाति वर्ग के व्यक्ति के लिये जी आरक्षित किया जावे, वनाधिकार अधिनियम, आदिवासियों की पंचायत व्यवस्था, जनजाति विकासखण्डों में जनजाति अधिकारी की नियुक्ति,फर्जी जाति प्रमाणपत्र,इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया गया है।

(गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित अधिवेशन एवं सम्मेलन में
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथि)

दिनाँक 22 जनवरी 2018

13. दिनाँक 22 जनवरी 2018 को जिले की प्रातीन ऐतिहासिक संस्था जो कि राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में संलग्न तथा जिले के नागरिकों को पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करा रही है, स्थानीय हिन्दी प्रचारिणी समिति द्वारा राष्ट्रकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी की जयंती पर आयोजित कार्यकम में उपस्थित होकर श्रद्धाजंली अर्पित की गई।

दिनाँक 23 जनवरी 2018

14. संशोधित कार्यकम अनुसार प्रातः 11 बजे छिन्दवाड़ा से प्रस्थान कर रातेड़ पातालकोट तामिया में समर्थ पातालकोट महोत्सव **राष्ट्र शक्ति सम्मेलन** में भाग लिया गया। इस कार्यकम में नर्बदा स्वच्छता मिशन, वनों को बचाने, आदिवासी सँस्कृति के संरक्षण, आदिवासी परम्पराओं, भाषा, कला, रीति रिवाजों के रक्षण इत्यादि विषय पर विद्वान वक्ताओं द्वारा उदबोधन दिया गया।

(रातेड पातालकोट तामिया में आयोजित राष्ट्र शक्ति सम्मेलन में
सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथि)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

15. दिनाँक 24 जनवरी 2018 छिन्दवाडा से नागपुर एवं दिल्ली प्रस्थान प्रवास सम्पन्न।

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	• स्वाधार गृह, जबलपुर को अनुदान राशि जारी करने की अनुशंसा आयोग के पत्र क्रमाँक File No. Tour/Programme/VC/13/2017/RU-III/(3) Dated 12 Sept. 2017 के माध्यम से प्रेषित प्रवास प्रतिवेदन में की गई थी। संस्था को आज तक अनुदान जारी नहीं किया गया है, अनुदान शीघ्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है। • गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा दिये ज्ञापन पर समुचित कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन को पत्राचार किया गया है। भविष्य में आयोग स्तर से अनुशरण की कार्यवाही की जावे। • यूको बैंक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कर्मचारी परिषद द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को लिखा जावे।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

EDUCATE ORGANISE AGITATE

UCO BANK SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES & O.B.C. EMPLOYEES' COUNCIL

(Affiliated to India SC/ST/OBC Bank Employees' Federation) Reg. No. S/26043

Central Office :
2, India Exchange Place
2nd Floor (Lift Gate) H.O.
KOLKATA - 700001

MP State Unit
C/O UCO. Bank, Roop Bhavan, Jawaharganj
Jabalpur Branch - Pin-482002

Ph. No. : 761-2612376
0761-2666060
Mob. : 7869659787

Ref. No.

UCBAH/VIP/SGS/PD/20/2018

Date **16-01-2018**

To,

The Hon'ble Vice Chairperson
National Commission for S.T.
Govt. Of India, (New Delhi)
Camp at Jabalpur (M.P.)

Sub.- **Issues of UCO Bank S.C./S.T./O.B.C Emp. Council, M.P. State Unit.**

Respected Madam,

We are enclosing here with the issues of our council to be discussed in the meeting (On 21-01-2018), which are as under:-

1. Apex level leadership (President / General Secretary) should be invited in the Zonal level quarterly review meeting at Bhopal Zone.
2. Office accommodation should be provided by the bank for councils state unit M.P. at Zonal Office Bhopal / Indore.
3. Long Pending burning issues of discrimination / harassment in the case of Mr. A.Wastrane, the then manager Vidisha Branch (Bhopal Zone).
4. Retired principal office Bearers (President / General Secretary) of State Unit should be allowed to participate in the Zonal level quarterly review meeting because Council is S.C. /S.T. /O.B.C. welfare organization .
5. Inspection of Roster (Maintained at Zo. Bhopal) by the S.C./S.T. Commission, Govt. of India, New Delhi / Bhopal.
6. Notification of Daftary/Cash peon post, already vacant since three years long time.
7. Arrears/Fitment in case of Mr. P.S. Markam, Sr. Manager, VFJ Branch Jabalpur on promotion from officer Grade – I to II and Grade II to III (Senior Management) since 2012 is pending with Zonal Office Bhopal.

Thanking you

Your's Faithfully

(Pramod Dongre)
General Secretary
M.P. State Unit
Mob. 7869659787

सुश्री अनुसुईया उइके
उपाध्यक्ष
(पूर्व सांसद राज्य सभा)
MISS ANUSUIYA UIKEY
VICE CHAIRPERSON
(EX. MP RAJYA SABHA)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
छठी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
GOVERNMENT OF INDIA
National Commission for Scheduled Tribes
6th Floor, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Tel. : 011- 24657272,Fax : 011- 24657474
Email : a.uikey@sansad.nic.in

क्रमॉक – VC/NCST/2017/283/ नई दिल्ली, दिनॉक 07 फरवरी 2018

प्रति,

मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल म. प्र.

विषय :– गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर कार्यवाही के संबंध में।

... .

मेरे द्वारा दिनॉक 21 जनवरी 2018 को जिला सिवनी का प्रवास किया गया था। प्रवास के समय गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रांतीय अधिवेशन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी भाग लिया गया।

इस कार्यक्रम में लगभग 5000 जनजाति समाज के व्यक्तियों की सहभागिता रही है। मनन चिंतन के उपरांत गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा मुझे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

इस ज्ञापन में जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन, सुधार, नियमों के क्रियान्वयन संबंधी सुझाव दिये गये हैं जो कि प्रथम दृष्टया उपयुक्त प्रतीत होते हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश द्वारा दिये गये ज्ञापन में प्रस्तुत बिन्दुओं का परीक्षण करवाकर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। कृपया की गई कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराया जाए।

भवदीया,

(सुश्री अनुसुईया उइके)

प्रतिलिपि :–

1) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ, भवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

2) श्री बिसनसिंह परतेती, प्रदेश अध्यक्ष गोंड समाज महासभी मध्यप्रदेश, निवास सिन्दादेही तहसील केवलारी जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

पंजीयन क्र.04/18/04/11504/

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी

सदस्य
डॉ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र. 750 दिनांक 21.01.2018

ज्ञापन

प्रति

माननीय उपाध्यक्ष महोदया
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति
आयोग भारत सरकार नई–दिल्ली

विषयः–मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय की विभिन्न मांगो व समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयंर्गत लेख हैं कि म.प्र. में निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय की विभिन्न मांगो व समस्याओं का निराकरण शासन प्रशासन स्तर पर करने हेतु ज्ञापन सादर प्रेषित है।

कृपया निराकरण हेतु समुचित कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से महासभा को भी अवगत करने का कष्ट करें।

मांग/समस्याऐं

1. म.प्र.राज्य में पांचवी अनुसूची के कानून के उचित कियान्वयन के लिए नियम बनाया जावे।
2. म.प्र.राज्य जनजाति मंत्रणा परिषद का अध्यक्ष पद जनजाति के लिये सुरक्षित किया जावे।
3. म.प्र. के समस्त 89 घोषित आदिवासी विकासखण्डों तथा घोषित आदिवासी जिलों में खंड विकास अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास केवल जनजाति वर्ग से हो।

पंजीयन क.04/18/04/11504/1

गौंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी, जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
डॉ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र..................

दिनांक..............

4. पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले समस्त विकासखण्डों और जिलों में नगर निगम नगर पालिका तथा नगर पंचायतों की व्यवस्था को समाप्त किया जाकर आदिवासी स्वायत्व परिषदों का गठन किया जाये।

5. आदिवासियों की परम्परागत रूढ़ी पंचायत व्यवस्था की कमेटियों के मुखियाओं को जिला और विकासखड़ो की प्रत्येक प्रशासनिक इकाई में भागीदारी सुनिश्चित किया जावें।

6. वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को मिले अब तक के लाभ और हानि की समीक्षा के लिये आदिवासियों को लेकर एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनायी जाये।

7. म.प्र. शासन के मुख्य सचिव बी.पी.सिंह द्वारा शहडोल संभाग प्रवास के दौरान आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने संबंधी नीति बनाने व पूर्व मे बने नियमों में बदलाव करने के दिये बयान को संज्ञान में लिया जाये, तथा तत्संबंध में कथाकथित आदिवासियों के द्वारा इन्दौर हाईकोर्ट मे दी गई याचिकाकर्ता के पीछे किन – किन लोगो का हाथ हैं इसकी भी उच्चस्तरीय जांच की जावें तथा ऐसी कोई भी नीति/नियम बनाये जाने पर रोक लगायी जावे।

8.म.प्र. शासन के विभिन्न विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले गैर अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अधिकारीयों के विरूद्ध शिकायत पत्र की उच्चस्तरीय छानबीन समिति भोपाल द्वारा की जा रही जांच एवं जांच उपरांत की गई कार्यबाहियों की समीक्षा की जावे।

9.म.प्र. में स्थित गोंडवाना कालीन पुरातत्वीय स्थलों में आधा किलोमीटर के दायरे पर स्थित अतिक्रमण–खेती, मकान, वन विभाग द्वारा आदि से कब्जा किये हुए भूमि को पुरातत्व विभाग में लेकर संरक्षित किया जावे तथा पुरातत्व विभाग द्वारा रख

पंजीयन क.04/18/04/11504/1

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी

सदस्य
डॅ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क.................. दिनांक..............

रखाव के नाम पर किये जा रहे खर्चो की समीक्षा एवं उच्चस्तरीय जांच की जावे।

10. गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीदों जैसे– महाराजा शंकर शाह व कुवर रघुनाथ शाह, महारानी दुर्गावती, विरसामुण्डा, वीर नारायण सोनाखान, बाबूराव सेडमाके आदि महापुरूषों के जीवन परिचय को पाठ्य पुस्तकों में जोडा जावे तथा उनके बलिदान दिसव जयंती के साथ ही 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया जावे।

11. प्रदेश के आदिवासियों की भूमि पर सामान्य वर्ग द्वारा पक्का मकान, भवन, स्टोन केशर, इत्यादि स्थापित कर कब्जा किये हैं उस भूमि को मूल रूप से कृषि प्रयोजन कर परिवर्तित किया जावे।

12. श्री सुखेन्द्र सिंह पिता स्व.जीवन सिंह जाति गोंड ग्राम भठवा (बरोधा) तह. मझगंवा जिल सतना निवासी को प्राप्त पट्टे की भूमि पर गैर आदिवासी रामरूप पिता रामप्रसाद यादव ग्राम अर्जुनपुर निवासी द्वारा किये अवैध कब्जा को हटाकर पट्टाधारी को कब्जा दिलाया जावे।

13. म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत गोंडवाना कालीन ऐतिहासिक गढ, किलो, धार्मिक स्थलों को जोड़ा जावे तथा जनजाति समुदाय के लोगों के दर्शन कराया जावें।

14. म.प्र. के जबलपुर में स्थित स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुये गोंड राजा शंकरशाह कुंवर रधुनाथ शाह जी के बंदीग्रह जो वर्तमान में वन विभाग का कार्यालय है। इस कार्यालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जावे तथा शहीद स्थल पर विशाल क्रांति स्तंभ बनाया जावे।

15. प्रदेश में ग्राम के अंदर 1975 के पहले चराई की भूमि को जहां पर झाड स्थित है

पंजीयन क्र.04/18/04/11504/

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)
प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)
प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)
प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)
प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)
प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
डॅ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र.................... दिनांक..............

उसे वन विभाग द्वारा जबरन कब्जा कर रहा है ऐसी भूमि आदिवासी लोग कोदो, कुट्की एवं अन्य फसल बोकर जीवन यापन कर रहे थे उसी मूल्य पर आदिवासियों को वापिस कर पट्टा दिया जावे।

16. म.प्र. के सिवनी जिले में निवासरत गोंड समाज के सामाजिक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यो हेतु जिला मुख्यालय सिवनी, ब्लाक मुख्यालय केवलारी एवं ग्राम सरंडी(उगली) में मंगल भवनो का निर्माण किया जावे।

17. म.प्र. के सिवनी जिले के विकासखंड केवलारी अंतर्गत ग्राम अहरवाडा में निवासरत गोंड समुदाय के लोग पूर्वजों से शव दफन हेतु उपयोग की जा रही शमशान (मरघट) की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

17(A). गोंडी भाषा को 8वी अनुसूची में शामिल किया जावे।

17(B). गोंडी धर्म को प्रथम धर्मकोड प्रदान किया जावे। (संदर्भ – छ.ग. शासन मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रं. प्र./सा.प्र.11/104जी/2006 रायपुर 22/3/2006)

17(C). म.प्र. के गोंड जनजाति समुदाय में परम्परागत देवस्थलों को राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के संबंध में (म.प्र. शासन राजस्व विभाग का आदेश क्रं. 274/840/2011/सात–6/भोपाल दिनांक 24.08.2011 का पालन नही किया जा रहा हैं। पालन कराया जावे तथा देवस्थलों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

17(D). म.प्र. में महात्मागांधी रोजगार गारंटी योजना से अनुसूचित जनजाति वर्ग को कपिलधारा कूप निर्माण योजना में एक हेक्टेयर भूमि का बंधन हटाया जाकर, एक हेक्टेयर से अधिक भूमि वालों को भी इस योजना का लाभ दिलाया जावें।

17(E). म.प्र. में 1.00 लाख से 2.00 करोड़ के ऋण स्वरोजगार प्रकरण में माननीय

पंजीयन क्र.04/18/04/11504/1

गोंड समाज महासभा मध्यप्रदेश

प्रधान कार्यालय– बी.एस.परतेती निवास सिन्दादेही तह.केवलारी,जिला सिवनी

मो.नं.9424364251

प्रदेश अध्यक्ष
बिसन सिंह परतेती
(सिवनी)

प्रदेश उपाध्यक्ष
कमल मर्सकोले
(विधायक बरघाट)

प्रदेश सचिव
सीताराम गोंड
(मण्डला)

प्रदेश सहसचिव
कौशल सिंह पोर्ते
(दमोह)

प्रदेश कोषाध्यक्ष
इंजी.केहर सिंह इनवाती
(नरसिंहपुर)

प्रदेश कार्यकारणी सदस्य
डॉ. के.एल.धुर्वे
(जबलपुर)
मुलचंद धुर्वे
(सिवनी)

क्र.....................

दिनांक................

मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार बैकों में गारंटी शासन लेगी परन्तु ऐसा नही हो रहा हैं, उस पर शक्ति से अमल किया जावे एवं स्वरोजगार योजना अन्तर्गत शासन से जो भी ऋण प्रदान किया जाता है, बैकों मे गारंटी के रूप में मुख्यमंत्री जी की घोषणा का अमल किया जावे।

18. म.प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति के नामांकित अशासकीय सदस्यों को द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के समान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है, नही दिया जा रहा है, दिया जावे (सदर्भ आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय का आदेश क्रं. डी–2331–2615–95–25–4 भोपाल दिनांक 29 फरवरी 1996)

(बिसन सिंह परतेती)
प्रदेश अध्यक्ष

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन भोपाल।
2. माननीय मंत्री/सांसद/विधायक..की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त अध्यक्ष जिला/नगर/ब्लाक कमेटी गोंड समाज महासभा म.प्र. की ओर ज्ञापन देने हेतु सादर प्रेषित।

(बिसन सिंह परतेती)
प्रदेश अध्यक्ष